



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (72)आकाशि/नि.सं./2016/619

दिनांक:- 17-01-2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/ विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय व विषय
बी.पी.एस. शिक्षण समिति, मणसिया रोड़, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।	बी.पी.एस. डिग्री कॉलेज, मणसिया रोड़, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर - कला संकाय:- भूगोल, हिन्दी साहित्य, उर्दू, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र। विज्ञान संकाय:- वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
 - संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
 - आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
 - संस्था को समय-समय पर यूजी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
 - संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
 - संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
 - संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 - संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
 - राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
 - संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
 - राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
 - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, सीकर।
- कुल सचिव, पं० दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर